न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 62/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पोकरराम पुत्र हरदेव जाति–भाम्बी,निवासी–धनेरिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. भीकाराम पुत्र हरदेव 2. पानीदेवी बेवा हरदेव जातियान–भाम्बी,निवासी–धनेरिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली 3. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली 4. प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा–जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.21/03/2016**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–धनेरिया, पटवार हल्का–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 1–15 बीघा, खसरा नम्बर 401 रकबा 30–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 541 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता–3 कुल रकबा 42–09 बीघा की आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की तथा नक्शा ट्रेश पेश किया हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती खातेदारी की हैं व माफिक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि खातेदारान् की शामलाती खातेदारी की हैं, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक हैं। राजस्व रेकर्ड में शामलाती कृषि भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खेतों के बीच मांठ / खन्दक को लेकर दिन प्रतिदिन वाद विवाद होता रहता हैं। वादी के हिस्से के खेत में खडे पेड भी प्रतिवादीगण काट देते हैं तथा खेजडी की लुंग पापडी काटकर बेच देते हैं एवं वादी के हिस्से की भूमि को अपने हिस्से की भूमि में मिला देते हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को इस प्रकार गैरकानूनी कृत्य करने बाबत् मना करने पर प्रतिवादीगण नहीं मानते हैं व लडाई झगड़ा करने पर आमादा होते हैं। वादी ने वादपत्र में वर्णित भूमि के कानूनी बंटवाड़ा हेतु दिनांक 29/02/2016 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट ईन्कार हुए इतना ही नहीं वादी को शामलाती खातेदारी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण करने की धमकी दी तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी। तब वादी ने बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। उक्त वर्णित शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बिना कानूनी बंटवाड़ा करवाये उपजाउ भूमि व रास्ते के पास की भूमि को कीमती भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण कर देते हैं तो अजनबी क्रेता शामलाती कृषि भूमि में अपनी मनचाही जगह पर भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर लेता हैं, तो अजनबी क्रेता द्वारा किये गये कृत्य से वादी अपने जायज हक व अधिकारों महरूम होगा व हक हकूकों का हनन होगा। जबकि क्रेता को खेत / खसरा नम्बर में कौनसी जगह पर आसिन होगा। यह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

स्थिति कानूनी बंटवाड़ा होने के बाद में स्पष्ट होगी तथा गैरकानूनी कृषि भूमि पर लाभ कर लेगा। इसलिए क्रेता द्वारा किये गये गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने हेतु कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जाना आवश्यक हैं। इसलिए वादी ने यह वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा का वादपत्र पेश किया हैं। वाद में प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया हैं। इसी प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 के यहां रहन रखकर ऋण लेने से प्रतिवादी संख्या 04 को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया हैं। बिनायवाद दिनांक 29/02/2016 को वादी ने वादपत्र में वर्णित भूमि बाबत् प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा हेतु कहा तो स्पष्ट ईन्कार हुए तथा प्रतिवादीगण ने शामलाती खातेदारी की भूमि को बेचान हस्तान्तरण तथा वादी को उसके कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम-धनेरिया, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के अधिकार क्षैत्र में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। मजमा-ए-आम में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुए, को समझाईश की गई। प्रति0 संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त वाद में सभी बिन्दु स्वीकार किये हैं व माफिक दावा व राजस्व रेकर्ड में शामलाती भूमि का विभाजन कर दिया जावें, तो कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थना पत्र सा0मि0 हो। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा में व्यक्ति किया कि वाद में वर्णित खसरा नम्बरान् माफिक हिस्से अनुसार अपनी-अपनी आराजी का बंटवाडा कर दिया जाने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा पक्षकारान् में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-धनेरिया, पटवार हल्का-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 1-15 बीघा, खसरा नम्बर 401 रकबा 30-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 541 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-3 कुल रकबा 42-09 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1008 दिनांक 04/09/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/1941 दिनांक 13/04/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–धनेरिया, पटवार हल्का–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 1–15 बीघा, खसरा नम्बर 401 रकबा 30–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 541 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता–3 कुल रकबा 42–09 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	पोकरराम पुत्र हरदेवराम कौम–भांबी सा0 देह खातेदार। रहन–एसबीबीजे शाखा–जैतारण।	401	15-07-00	बा0अ0
2	भीकाराम पुत्र हरदेवराम कौम–भांबी सा0 देह खातेदार। रहन–भूमि विकास बैंक शाखा–जैतारण	401/1	15-07-0	बा0अ0
3	पानीदेवी पत्नि हरदेवराम कौम–भांबी सा0 देह खातेदार। रहन–भूमि विकास बैंक शाखा–जैतारण	541 399	10-00-00 1-15-00	बा0दो0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–केकिन्दड़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner